

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या- 4635/77-3-2022/15 आर/22
लखनऊ : दिनांक 07 अगस्त, 2023

मैसर्स सीकॉम इन्फाकॉम प्रा0लि0

पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

विपक्षीगण

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका मैसर्स सीकॉम इन्फाकॉम प्रा0लि0 को ग्रेटर नोएडा में आवंटित भूखण्ड सं0-जीएच-07, टेकजोन-4 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा पारित लीज डीड निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06.11.2019 एवं प्रत्यावेदन निस्तारण आदेश दिनांक 24.06.2022 के विरुद्ध उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एक्ट, 1973 की धारा 41(3) सपठित उ0प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-12 के अन्तर्गत दाखिल की गयी है।

2- यह रिवीजन पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी द्वारा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.11.2019 एवं 24.06.2022 के विरुद्ध दायर किया गया है। प्राधिकरण के आदेश दिनांक 06.11.2019 द्वारा आवंटी कम्पनी के पक्ष में किए गए आवंटन व निष्पादित लीज को निरस्त किया गया है तथा प्राधिकरण के आदेश दिनांक 24.06.2022 द्वारा आवंटी कम्पनी द्वारा दिए गए रेस्टोरेशन आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है। कम्पनी द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या-38740 आफ 2019 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में दिनांक 17.05.2022 को प्रस्तुत किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश में मैसर्स साई नमो नमः कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 के प्रकरण में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.07.2020 की सर्ज पर आवंटी कम्पनी के प्रत्यावेदन पर प्राधिकरण के द्वारा विचार के निर्देश मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए थे। प्राधिकरण द्वारा आवंटी कम्पनी का रेस्टोरेशन आवेदन पत्र दिनांक 19.09.2020 आवंटन निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06.11.2019 से 10 माह के बाद दिए जाने के कारण निरस्त किया गया है और यह कहा गया है कि साई नमो नमः कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 के केस में यह आवेदन पत्र 90 दिन के अन्दर दिया गया है। आवंटी कम्पनी का यह कथन है कि आवंटी कम्पनी के पक्ष में किया गया लीज दिनांक 21.02.2014 क्षेत्रफल 20,000 वर्गमीटर के लिए है। उपरोक्त 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल स्पोर्ट्स सिटी-01, जिसका कुल रकबा 52.6 हे0 है और जो कन्सोर्शियम को आवंटित किया गया, उसका हिस्सा है। उपरोक्त कन्सोर्शियम में 03 निम्न कम्पनियाँ पार्टनर हैं:-

- (i) मैसर्स एम.एम.आर. कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0
- (ii) मैसर्स एन.के.जी. इन्फास्ट्रक्चर लि0
- (iii) मैसर्स एडवांश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0

3- प्राधिकरण द्वारा आज भी स्पोर्ट्स सिटी-01 के कन्सोर्शियम को पूर्ण रकबे पर पजेशन नहीं दिया जा सका है। याची का यह भी कथन है कि कन्सोर्शियम को किया गया यह

आवंटन मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका गजराज एवं अन्य तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका सावित्री देवी एवं अन्य पारित आदेशों से प्रभावित रहा है। याची ने यह भी कहा है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्लॉट नं0-एस.सी.-01 मैसर्स यूफोरिया स्पोर्ट्स सिटी प्रा0लि0 स्पेशल परपज व्हकिल कम्पनी के नाम 24.05.2016 को लीज डीड निष्पादित किया गया है। उक्त लीज डीड भी कुछ गाटा संख्याओं को छोड़ते हुए निष्पादित की गयी है। पहले यह लीज डीड 3.52 लाख वर्गमीटर की निष्पादित की गयी। बाद में करेक्शन डीड करते हुए रकबा 3.49 लाख वर्गमीटर किया गया। परन्तु उपरोक्त समस्त भूखण्ड का अभी तक मौके पर डिमार्केशन नहीं है।

4- याची ने यह अवगत कराया कि इनका प्रोजेक्ट यू0पी0 रेरा में रजिस्टर्ड है तथा यू0पी0 रेरा ने यह आदेशित कर रखा था कि फ्लैट बायर्स द्वारा जो भी धनराशि दी जाएगी, उसका 70 प्रतिशत एस्करो एकाउण्ट में रखकर कन्स्ट्रक्शन पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस वजह से भी याची द्वारा नोएडा के देयताओं का समय से भुगतान नहीं किया जा सका। याची ने यह भी अवगत कराया है कि रियल स्टेट की स्थिति प्रश्नगत अवधि में अत्यंत खराब होने के बावजूद याची द्वारा 730 फ्लैट्स में 360 फ्लैट बुक किए जा चुके हैं।

5- याची ने यह भी अवगत कराया कि लीज डीड दिनांक 21.02.2014 को एक्सक्यूट होने के तत्काल बाद याची द्वारा अपना बिल्डिंग प्लान/नक्शा 01.06.2015 में प्राधिकरण में प्रस्तुत किया गया, जिसे प्राधिकरण द्वारा 24.06.2015 को स्वीकृति दी गयी। उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में याची द्वारा निर्माण करते हुए 15 प्रतिशत से अधिक का निर्माण किया जा चुका है, जो कि पहले 03 वर्ष की आवश्यकता है। प्रार्थी द्वारा क्रय किए गए भूखण्ड का कुल प्रीमियम रु. 13.3 करोड़ है, जिसके सापेक्ष प्रार्थी द्वारा कुल रु. 7.21 करोड़ की धनराशि प्राधिकरण में जमा की जा चुकी है।

6- प्राधिकरण का कथन निम्नवत् है :-

“...मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा0लि0 के द्वारा अपने भूखण्ड संख्या- जीएच-07, सैक्टर- एडज्वाइनिंग टेकजोन-4, क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में प्राधिकरण के आवंटन/लीज डीड निरस्तीकरण आदेश दिनांक 06.11.2019 व 24.06.2022 के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के समक्ष उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट, 1973 की धारा-41 (3) सपठित धारा-12 यू. पी. इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट, 1976 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। रिवीजन अपील के सम्बन्ध में आख्या निम्नानुसार है:-

याची कम्पनी द्वारा अपनी रिवीजन अपील दिनांक 15.11.2022 में निम्नानुसार प्रार्थना की गई है-

- a) Issue an order or direction in the quashing the impugned order dated 06-11-2019 for cancellation of the lease deed dated 21-02-2014 in respect of the said plot bearing no-GH-07, Sector-Techzone-IV, Greater Noida, U.P.;

- b) Issue an order or direction quashing the impugned order dated 24-06-2022 for arbitrarily dismissing the petition by the revisionist in a discretionary fashion regarding setting up a payment plan to clear all balance dues;
- c) Issue an order or direction commending the respondents not to take any coercive steps in terms of the impugned order in respect of the said plot bearing no- GH-07, Techzone-IV, Greater Noida, U.P.;
- d) Issue an order or direction commending the respondents not to levy the Restoration Charges on the revisionist in addition to the payment of the dues owed to the respondent.
- e) Issue an order or direction which this Hon'ble may deem fit and proper in given facts and circumstances of the case; and
- f) Award cost in favour of the Revisionist.

- ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्पोर्ट्स सिटी योजना-2010-2011 के अन्तर्गत कंसोरशियम के रूप में मैसर्स एम. एम. आर. कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.-लीड मेम्बर, मैसर्स एन. के. जी. इंफ्रास्ट्रक्चर लि.-रिलेवेन्ट मेम्बर तथा मैसर्स एडवांस कंस्ट्रक्शन कं० प्रा.लि.-रिलेवेन्ट मेम्बर के पक्ष में स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या- एस. सी-01, सैक्टर-एडज्वाइनिंग टेकजोन-4, क्षेत्रफल 526540 वर्ग मीटर का आवंटन प्राधिकरण के पत्र दिनांक 30.03.2011 के माध्यम से किया गया। आवंटी/कंसोरशियम के अनुरोध के क्रम में उक्त भूखण्ड को कंसोरशियम मेम्बर्स द्वारा गठित 13 एस.पी.सी. कम्पनियों के पक्ष में उप विभाजित किया गया। भूखण्ड के उप विभाजन के पश्चात मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम, प्रा०लि० के पक्ष में भूखण्ड संख्या-जीएच-07, सैक्टर-एडज्वाइनिंग टेकजोन-4, क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर उप विभाजित हुआ। जिसकी लीजडीड निष्पादित कराने हेतु प्राधिकरण के पत्र दिनांक 11.12.2013 के द्वारा चेकलिस्ट जारी की गयी। दिनांक 21.02.2014 को भूखण्ड की लीज डीड आवंटी कम्पनी के पक्ष में निष्पादित करायी गयी एवं भूखण्ड का कब्जा प्रदान किया गया।
- आवंटी कम्पनी द्वारा निर्धारित समयावधि में भूखण्ड के सापेक्ष देयता जमा न कराये जाने के कारण प्राधिकरण के पत्र दिनांक 25.02.2015, दिनांक 10.02.2016, दिनांक 21.04.2017 के द्वारा डिफाल्टर नोटिस, दिनांक 25.4.2017 के द्वारा परियोजना को पूर्ण करने एवं प्राधिकरण की भुगतान की अतिदेयता हेतु अंतिम अवसर के रूप में Project Settlement Policy में आवेदन किये जाने, पत्र दिनांक 24.10.2018 को कारण बताओ नोटिस, दिनांक 24.01.2019, दिनांक 26.04.2019 को डिफाल्टर नोटिस, दिनांक 06.08.2019 को अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की दर के पुनर्निर्धारण एवं अतिदेयता के भुगतान के सम्बन्ध में नोटिस प्रेषित किये गये है एवं पत्र दिनांक 03.10.2019 के कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया गया। इसके उपरान्त भी आपके द्वारा प्राधिकरण की अतिदेयता जमा नहीं कराई गई है।
- भूखण्ड के सापेक्ष अतिदेय धनराशि रु. 30,14,12,690/- जमा न कराने एवं परियोजना पूर्ण करने के प्रति गम्भीर न होने के कारण लीजडीड के प्रस्तर CANCELLATION में उल्लिखित प्राविधानों के अनुरूप मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० के पक्ष में आवंटित/उप विभाजित भूखण्ड संख्या- जीएच 07, सैक्टर- एडज्वाइनिंग टेकजोन-4,

क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर के आवंटन एवं लीजडीड को प्राधिकरण के निरस्तीकरण आदेश संख्या- ग्रेनो/वाणिज्यिक/2019/3147, दिनांक 06.11.2019 के द्वारा निरस्त करते हुए कुल प्रीमियम की 30 प्रतिशत राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त करने के आदेश पारित किये गये। आवंटन निरस्तीकरण के उपरान्त प्राधिकरण के परियोजना अनुभाग के वर्क सर्किल-3 द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में दिनांक 10.09.2020 को भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

- मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० द्वारा भूखण्ड के प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि के मद में कुल जमा धनराशि रू० 7,30,53,901/- (Rs. Seven Crore, Thirty Lakh, Fifty Three Thousand, Nine Hundred One Only) में से भूखण्ड के कुल प्रीमियम एवं अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि तथा आवंटन निरस्तीकरण की तिथि 06.11.2019 तक आगणित लीजरेंट कुल रू० 4,84,69,596/- जब्त करते हुए अवशेष धनराशि रू० 2,45,84,305/- (Rs. Two Crore, Forty Five Lakh, Eighty Four Thousand Three Hundred Five only) रिफण्डेबल बनते थे। जिसका रिफण्ड चेक संख्या-010160, दिनांक 19.02.2021 जो एच०डी०एफ०सी० बैंक, अल्फा कॉमर्शियल बेल्ट, ग्रेटर नौएडा में आहरित था, प्राधिकरण के पत्र दिनांक 24.02.2021 के द्वारा कम्पनी के दिल्ली के पते पर प्रेषित किया गया था एवं पत्र की प्रति ईमेल के माध्यम से भी प्रेषित की गयी। जिसे आवंटी कम्पनी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 24.02.2021 के क्रम में आवंटी ने अपने पत्र दिनांक 27.02.2021 के द्वारा अवगत कराया गया था कि उनके भूखण्ड के आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण रिट याचिका संख्या-38740/2019 के क्रम में मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
 - मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या- 38740/2019 सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 11.05.2022 निम्नानुसार पारित किया गया:-

"Learn counsel for the petitioner submits that in view of order dated 21-07-2020 passed in the case of M/s- Sai Namu Namah Construction Pvt. Ltd., petitioner wants to file representation before the Development Authority and the Authority be directed to consider the same.

List this case in the third week of July, 2022.

In the meanwhile, we leave it open the petitioner to file any such representation and in case the same is filed, it would be the discretion of the Development Authority to pass appropriate order in accordance with law."
 - रिट याचिका संख्या- 38740/2019 सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2022 के क्रम में मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० के पत्र दिनांक 17.05.2022 के द्वारा अपने आवंटन निरस्त भूखण्ड को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है एवं प्रत्यावेदन में निम्नानुसार प्रार्थना की गयी थी-
- (a) To restore the plot No-GH-07, Adjoining Techzone-IV, Greater Noida West, in its original position.

- (b) Revalidate the map/drawings of the project with immediate effect.
- (c) Issue letter of calculation of due payment in the light of the decision taken by the GNIDA in the case of Sai Namoh Namah.
- (d) Open an escrow account with the company so that the company/ petitioner pay all the dues in the Escrow Account as per the arrangement circulated by the Authority vide communication dated 1st March, 2019, which was especially formulated against the Builder Plot.
- (e) Pass any such other order/orders as this Hon'ble Authority may deem fit and proper in the given facts and circumstances of the case.

- मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में याची कम्पनी मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 17.05.2022 के द्वारा एक अन्य समतुल्य प्रकरण (मैसर्स साई नमो नमः कंस्ट्रक्शन प्रा.लि.) के स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड के रिस्टोरेशन की भाँति अपने निरस्त भूखण्ड के रिस्टोरेशन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि मैसर्स साई नमो नमः कंस्ट्रक्शन प्रा०लि० के पक्ष में उप विभाजित/आवंटित भूखण्ड सं० SC-01/GH-09, Area-20000 Sqm. के सापेक्ष प्राधिकरण की अतिदेयता जमा न होने एवं स्थल पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के आधार पर आवंटन निरस्त कर प्राधिकरण के पत्र सं० ग्रेनौ/वाणिज्यिक/2019/3673 दिनांक 09.10.2019 के द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया गया था। आवंटी कम्पनी की निष्पादित लीज डीड एवं योजना के ब्रोशर में भूखण्ड पुर्नस्थापन (Restoration) के सम्बन्ध में कोई प्राविधान उल्लेखित नहीं था। अतः ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 68वीं बोर्ड बैठक में अनुमोदित The Manual For Commercial Property Management March 2008 में प्राविधानित नीति Restoration of Commercial Plot/Shop/Built up space के आधार पर रि-स्टोरेशन किया गया। इस नीति में यह प्राविधानित था कि "आवंटी द्वारा वाणिज्यिक परिसम्पत्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन निरस्तीकरण पत्र की तिथि से 90 दिन में प्राधिकरण में प्राप्त करवाया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थितियों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समय सीमा में शिथिलता प्रदान करने हेतु अधिकृत होंगे। ऐसे सभी प्रकरण आगामी बोर्ड बैठक में संज्ञान में लाये जायेंगे। प्रत्यावेदन के साथ शपथ पत्र के रूप में आवंटी द्वारा किये गये उल्लंघन को दूर करने के प्रभावी उपाय/समय सारणी भी प्रस्तुत की जायेगी।" मैसर्स साई नमो नमः कंस्ट्रक्शन प्रा०लि० के द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की तिथि से 90 दिन के अन्दर रि-स्टोरेशन हेतु दिनांक 31.10.2019 को आवेदन कर दिया गया था, इसलिए उनका आवेदन नियमानुसार पाये जाने पर उनके आवंटन को रि-स्टोर किये जाने की कार्यवाही की गयी। मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० के रि-स्टोरेशन के प्रकरण में उनके द्वारा अपने आवंटन निरस्त भूखण्ड संख्या-जीएच-07, सैक्टर-एडज्वाइनिंग टेकजोन-4, क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर के रिस्टोरेशन हेतु आवंटन निरस्तीकरण के आदेश दिनांक 06.11.2019 से लगभग 10 माह बाद दिनांक 19.09.2020 को रिस्टोरेशन हेतु आवेदन किया गया था। प्राधिकरण की नीति में निर्धारित 90 दिन की अवधि के अंतर्गत

रिस्टोreshन हेतु आवेदन न किये जाने के फलस्वरूप उनके भूखण्ड के रिस्टोreshन का प्रत्यावेदन नियमानुसार विचारणीय नहीं पाया गया है।

- मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2022 के अनुपालन में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नौएडा के आदेश संख्या- ग्रेनो/वाणिज्यिक/2022/2014, दिनांक 24.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० के प्रत्यावेदन दिनांक 17.05.2022 को निस्तारित कर दिया गया है। प्रत्यावेदन निस्तारण के उपरान्त मैसर्स सीकॉम इंफ्राकॉम प्रा०लि० को जी०एस०टी० की कटौती करने के उपरान्त रू० 2,32,88,645/- की धनराशि आवंटन निरस्तीकरण के पश्चात प्राधिकरण द्वारा चेक संख्या-011956, दिनांक 14.09.2022, एच०डी०एफ०सी० बैंक, के माध्यम से वापस किया गया था, परन्तु उनके द्वारा रिफण्ड चेक को अपने पत्र दिनांक 21.10.2022 के माध्यम से वापस कर दिया गया है एवं अवगत कराया है कि उनके भूखण्ड के रिस्टोreshन का प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में लम्बित है।
- याची कम्पनी के द्वारा लीजडीड की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया। भूखण्ड के सापेक्ष देय प्रीमियम, अतिरिक्त प्रतिकर धनराशि एवं वार्षिक लीजरेंट की धनराशि का भुगतान सुनिश्चित न किये जाने एवं परियोजना को निर्धारित समय अवधि के अंदर पूर्ण न करने के कारण लीजडीड के प्राविधानों के अनुरूप याची कम्पनी के पक्ष में आवंटित स्पोर्ट्स सिटी भूखण्ड संख्या-जीएच 07, सैक्टर-एडज्वाइनिंग टेकजोन-4, क्षेत्रफल 20000 वर्ग मीटर का आवंटन एवं लीजडीड को निरस्त किया गया है। यदि याची कम्पनी के आवंटन पुर्नस्थापना पर विचार किया जाता है तो याची कम्पनी को प्रचलित पुर्नस्थापना शुल्क, बकाया देयता का भुगतान सुनिश्चित करने एवं अन्य निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर नियमानुसार आवंटन पुर्नस्थापना पर विचार किया जा सकता है। “

7- उपरोक्त तथ्यों व विवेचना से यह निष्कर्ष निकलता है कि याची द्वारा आवंटित भूखण्ड के कुल प्रीमियम के आधे से अधिक धनराशि जमा की जा चुकी है और आवंटित प्लॉट पर नक्शा पास कराते हुए निर्माण कार्य भी काफी हद तक किया गया है और लगभग आधे प्लॉट्स की बुकिंग भी की गयी है। ऐसे में मा० न्यायालयों में लम्बित भूमि विवादों, रियल स्टेट की खराब स्थिति तथा कोविड-19 से उत्पन्न प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी द्वारा प्रीमियम के सापेक्ष जमा की गयी धनराशि व मौके पर कराए गए कार्य इस बात को स्पष्ट इंगित करते हैं कि प्रार्थी ने अपने प्रोजेक्ट को बनाने का पूर्ण प्रयास किया है। उपरोक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि साईं नमो नमः कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० के केस में प्राधिकरण ने जो 90 दिन के पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र के लिए तय किया है वह 90 दिन कॉमर्शियल परिसम्पत्तियों के लिए बनाई गयी नियमावली में है और बोर्ड के निर्णय से उसी 90 दिन को साईं नमो नमः कन्स्ट्रक्शन प्रा०लि० के केस में लागू करने का निर्णय लिया है। परन्तु पुनरीक्षणकर्ता के केस में कॉमर्शियल परिसम्पत्तियों के लिए निर्धारित 90 दिन का हवाला देकर प्राधिकरण का आदेश दिनांक 24.06.2022 द्वारा आवंटन के प्रत्यावेदन दिनांक 17.05.2022 को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता।

8- उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.11.2019 तथा 24.06.2022 निरस्त किया जाता है तथा आवंटी का आवंटन वगैर पुनर्स्थापना शुल्क के पुनर्स्थापित किया जाता है। आवंटी द्वारा प्राधिकरण की देयताओं के सम्बन्ध में नई माँग पत्र के सापेक्ष 10 प्रतिशत का भुगतान माँग पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर किया जाएगा तथा शेष धनराशि 06 वार्षिक किश्तों में प्राधिकरण में जमा की जाएगी।

Manoj
7.8.23

(मनोज कुमार सिंह)

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।

संख्या:-4635(1)/77-3-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
2. अधिकृत हस्ताक्षरी, मैसर्स सीकॉम इन्फ्राकॉम प्रा0लि0, ए-10, बी-1, मोहन को-ऑपरेटिव इण्डस्ट्रियल इस्टेट, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Shri
(शैलेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।